

# सामाजिक न्याय और समावेशी विकास: एक समीक्षात्मक विश्लेषण

विकाश कुमार विधाता

शोधार्थी

स्नातकोत्तर राजनीति विज्ञान विभाग

तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर

## सारांश:

सामाजिक न्याय और समावेशी विकास आधुनिक भारत की विकास यात्रा के दो अभिन्न स्तंभ हैं। सामाजिक न्याय का अर्थ है समाज के सभी वर्गों, विशेषकर वंचित, दलित, पिछड़े, महिलाओं, अल्पसंख्यकों और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को समान अवसर, संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण और गरिमापूर्ण जीवन प्रदान करना। समावेशी विकास उस आर्थिक वृद्धि को संदर्भित करता है जिसमें विकास के लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचें, न कि केवल कुछ चुनिंदा वर्गों तक सीमित रहें। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38, 39 और 46 इन सिद्धांतों को नीति निर्देशक तत्वों के रूप में स्थापित करते हैं।

स्वतंत्रता के बाद से भारत ने भूमि सुधार, आरक्षण नीति, मनरेगा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, शिक्षा का अधिकार और जन धन योजना जैसी अनेक पहलों के माध्यम से इन लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया है। अमर्त्य सेन के 'क्षमताओं का विकास' सिद्धांत और डॉ. बी.आर. आंबेडकर के सामाजिक न्याय के विचार इस क्षेत्र में आधारभूत रहे हैं। फिर भी, आर्थिक उदारीकरण के बाद बढ़ती असमानता, अमीर-गरीब की खाई, क्षेत्रीय असंतुलन, लिंग भेद और जातिगत भेदभाव समावेशी विकास की राह में बाधाएं बने हुए हैं। ऑक्सफैम रिपोर्ट्स के अनुसार शीर्ष 1% के पास राष्ट्रीय संपत्ति का बड़ा हिस्सा केंद्रित है जबकि निचले वर्गों की स्थिति सुधरने की गति धीमी है।

यह अध्ययन इन नीतियों की सफलताओं जैसे गरीबी उन्मूलन में कमी, साक्षरता वृद्धि और वित्तीय समावेशन के साथ-साथ विफलताओं जैसे क्रियान्वयन की कमी, भ्रष्टाचार और लक्षित वर्गों तक पहुंच की कमी का समीक्षात्मक विश्लेषण करता है। समावेशी विकास केवल GDP वृद्धि नहीं बल्कि मानव विकास सूचकांक (HDI), स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने वाला होना चाहिए। वर्तमान में आत्मनिर्भर भारत, स्किल इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसी योजनाएं नई दिशा दे रही हैं, परंतु जलवायु परिवर्तन, बेरोजगारी और सामाजिक विभेद नई चुनौतियां प्रस्तुत कर रहे हैं।

निष्कर्षतः सामाजिक न्याय को विकास प्रक्रिया का अभिन्न अंग बनाना होगा। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में समानता सुनिश्चित कर, शासन में पारदर्शिता लाकर और वंचित वर्गों की भागीदारी बढ़ाकर ही सच्चा समावेशी विकास संभव है। यह न केवल नैतिक दायित्व है बल्कि सतत और स्थिर राष्ट्र निर्माण की आवश्यकता भी है।

## परिचय

सामाजिक न्याय की अवधारणा प्राचीन काल से चली आ रही है, लेकिन आधुनिक संदर्भ में यह फ्रांसीसी क्रांति के समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के आदर्शों तथा मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित हुई। भारत में डॉ. भीमराव

आंबेडकर ने इसे संवैधानिक रूप दिया, जहां सामाजिक न्याय को केवल आय वितरण तक सीमित न रखकर अवसरों की समानता, सामाजिक मान्यता और आर्थिक सुरक्षा के रूप में परिभाषित किया गया। समावेशी विकास 1990 के दशक के बाद विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र जैसे संगठनों द्वारा लोकप्रिय हुआ, जो उच्च आर्थिक वृद्धि को सामाजिक समावेशन के साथ जोड़ता है। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रारंभिक दशकों में समाजवादी मॉडल अपनाया गया, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र, भूमि सुधार और गरीबी उन्मूलन पर जोर दिया गया। 1991 के उदारीकरण ने तेज आर्थिक वृद्धि दी, लेकिन असमानता भी बढ़ाई। आज भारत विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है, फिर भी HDI में 134वें स्थान पर है। सामाजिक न्याय और समावेशी विकास का अंतर्संबंध इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बिना सामाजिक न्याय के विकास सतत नहीं रह सकता और बिना समावेशन के न्याय अधूरा है।

संविधान के भाग IV के निर्देशक सिद्धांत राज्य को सामाजिक-आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने का दायित्व देते हैं। अनुच्छेद 15 और 16 भेदभाव निषेध और समान अवसर प्रदान करते हैं। आरक्षण नीति ने SC, ST, OBC को मुख्यधारा में लाया, परंतु आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए भी प्रावधान किए गए। मनरेगा ने ग्रामीण रोजगार की गारंटी दी, RTE ने शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया और NFSA ने खाद्य सुरक्षा प्रदान की। प्रधानमंत्री जन धन योजना, मुद्रा योजना और स्टैंडअप इंडिया ने वित्तीय और उद्यमिता समावेशन को बढ़ावा दिया। फिर भी चुनौतियां गंभीर हैं। ऑक्सफैम और विश्व असमानता रिपोर्ट के अनुसार संपत्ति का असमान वितरण जारी है। ग्रामीण-शहरी विभेद, लिंग असमानता, जातिगत हिंसा और अल्पसंख्यक समुदायों की उपेक्षा विकास को प्रभावित करती है। कोविड-19 महामारी ने इन खाइयों को और उजागर किया। नई शिक्षा नीति 2020, आयुष्मान भारत और PM किसान समानता लाने का प्रयास कर रही हैं। यह अध्ययन ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, नीतिगत ढांचे, प्रमुख योजनाओं के प्रभाव, क्षेत्रीय अनुभवों (बिहार, केरल, गुजरात आदि), चुनौतियों और भविष्य की दिशा का विस्तृत समीक्षात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। समावेशी विकास का लक्ष्य 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' को वास्तविकता में बदलना है।

## उद्देश्य

1. सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की अवधारणाओं, उनके सैद्धांतिक आधार का विश्लेषण करना।
2. भारत में लागू प्रमुख नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों का समीक्षात्मक मूल्यांकन करना तथा उनकी सफलता-विफलता का अध्ययन करना।
3. सामाजिक-आर्थिक असमानताओं, क्षेत्रीय विभेदों और क्रियान्वयन चुनौतियों की पहचान करना।
4. समावेशी और न्यायपूर्ण विकास के लिए भावी रणनीतियों तथा सुझाव प्रस्तुत करना।

## साहित्य समीक्षा

अमर्त्य सेन की पुस्तक *Development as Freedom* (1999)<sup>1</sup> सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की अवधारणा को समझने का आधारभूत ग्रंथ है। सेन ने विकास को आर्थिक वृद्धि तक सीमित न रखकर इसे 'क्षमताओं के विस्तार' (Capabilities Approach) के रूप में परिभाषित किया है। उनके अनुसार सच्चा विकास वह है जो व्यक्तियों को शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और राजनीतिक स्वतंत्रता के माध्यम से अपनी क्षमताओं को बढ़ाने का अवसर दे। पुस्तक में सामाजिक न्याय को विकास प्रक्रिया का अभिन्न अंग बताया गया है। भारत के संदर्भ में यह ग्रंथ आरक्षण, शिक्षा और स्वास्थ्य नीतियों की समीक्षा के लिए अत्यंत प्रासंगिक है।

डॉ. बी.आर. आंबेडकर<sup>2</sup> के सामाजिक न्याय पर लेखन और संवैधानिक योगदान को इस क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण साहित्य माना जाता है। आंबेडकर ने सामाजिक न्याय को केवल आर्थिक समानता तक सीमित नहीं रखा बल्कि इसे

सामाजिक समानता, मानवीय गरिमा और अवसरों की समानता के रूप में स्थापित किया। उनके विचारों ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15, 16, 38, 39 एवं 46 को आकार दिया। आंबेडकर के नजरिए में सामाजिक न्याय के बिना समावेशी विकास असंभव है, क्योंकि जाति-आधारित विषमताएं विकास को बाधित करती हैं।

Jean Drèze और Amartya Sen की पुस्तक *An Uncertain Glory: India and its Contradictions* (2013)<sup>3</sup> भारत में सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की वास्तविक स्थिति का तीखा समीक्षात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करती है। लेखकों ने दिखाया है कि आर्थिक उदारीकरण के बाद तेज वृद्धि के बावजूद शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण जैसे सामाजिक क्षेत्रों में भारत की स्थिति पड़ोसी देशों से भी खराब है। पुस्तक भ्रष्टाचार, नीतिगत उपेक्षा और क्रियान्वयन की कमियों पर प्रकाश डालती है तथा समावेशी विकास के लिए सार्वजनिक व्यय बढ़ाने की वकालत करती है।

ina Agarwal की पुस्तक *A Field of One's Own: Gender and Land Rights in South Asia* (1994)<sup>4</sup> लिंग आयाम के माध्यम से सामाजिक न्याय और समावेशी विकास पर प्रकाश डालती है। लेखिका ने तर्क दिया है कि महिलाओं को संपत्ति, भूमि और संसाधनों पर अधिकार दिए बिना सच्चा समावेशी विकास संभव नहीं है। यह ग्रंथ भारतीय ग्रामीण संदर्भ में लिंग-आधारित असमानता, उत्तराधिकार कानूनों और महिला सशक्तिकरण की नीतियों का गहन विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

Vijay Mankar<sup>5</sup> की पुस्तक सामाजिक न्याय और समावेशी विकास (हिंदी संस्करण) भारतीय संदर्भ में सामाजिक न्याय की अवधारणा को व्यावहारिक रूप में समझाती है। लेखक ने डॉ. आंबेडकर के विचारों को समकालीन नीतियों से जोड़कर विश्लेषण किया है और आरक्षण, कल्याणकारी योजनाओं तथा सशक्तिकरण कार्यक्रमों की सफलता-विफलता पर चर्चा की है।

Thomas Piketty की पुस्तक *Capital in the Twenty-First Century* (2014)<sup>6</sup> और Oxfam की वार्षिक *Inequality Reports* ने विश्व और भारत में बढ़ती आर्थिक असमानता पर महत्वपूर्ण प्रकाश डाला है। इन रिपोर्टों में स्पष्ट किया गया है कि शीर्ष 1% के पास बढ़ता धन संकेंद्रण समावेशी विकास की सबसे बड़ी बाधा है। भारत में धन और आय की असमानता सामाजिक न्याय को चुनौती दे रही है।

## सामाजिक न्याय

सामाजिक न्याय की यात्रा भारत में स्वतंत्रता के बाद से आरक्षण नीति, कल्याणकारी योजनाओं और विभिन्न सशक्तिकरण कार्यक्रमों के माध्यम से आगे बढ़ी है। डॉ. बी.आर. आंबेडकर द्वारा स्थापित संवैधानिक ढांचे ने सामाजिक न्याय को राज्य नीति का मूल आधार बनाया। अनुच्छेद 15, 16, 38, 39 और 46 के तहत राज्य को सामाजिक-आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने तथा वंचित वर्गों के उत्थान का दायित्व सौंपा गया। आरक्षण व्यवस्था ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में अवसर प्रदान किए, जिससे लाखों परिवार मुख्यधारा में आए। हालांकि, समय के साथ इसकी समीक्षा की आवश्यकता महसूस की गई, जिसके परिणामस्वरूप आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए 10% आरक्षण लागू किया गया।

समावेशी विकास की दिशा में भारत सरकार ने अनेक योजनाएं शुरू की हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) इनमें प्रमुख है। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम 100 दिनों का गारंटीड रोजगार प्रदान करती है। वर्ष 2024-25 में इस योजना के तहत 290.60 करोड़ व्यक्ति-दिवस रोजगार सृजित हुए और महिलाओं की भागीदारी 58.15% तक पहुंच गई। इसने ग्रामीण मजदूरी दरों को बढ़ाया, प्रवासन को कम किया और महिलाओं के सशक्तिकरण में योगदान दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) ने करोड़ों गरीब परिवारों

को पक्का मकान उपलब्ध कराया, जबकि स्किल इंडिया मिशन ने युवाओं को रोजगार योग्य कौशल प्रदान करने का प्रयास किया। जन धन योजना, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और स्टैंडअप इंडिया जैसी योजनाओं ने वित्तीय समावेशन, स्वास्थ्य सुरक्षा और उद्यमिता को बढ़ावा दिया।

इन योजनाओं की सफलताएं स्पष्ट हैं। विश्व बैंक के अनुसार, 2011-12 से 2022-23 के बीच भारत में अत्यधिक गरीबी 16.2% से घटकर 2.3% रह गई। NITI Aayog के मल्टीडाइमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के मुताबिक, 2015-16 से 2019-21 के बीच 13.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले। साक्षरता दर बढ़ी, बाल मृत्यु दर घटी और स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त गांवों की संख्या बढ़ी। सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2016 के 22% से बढ़कर 2025 में 64.3% हो गया। इन उपलब्धियों ने मानव विकास सूचकांक (HDI) में सुधार किया, जहां भारत 2025 में 130वें स्थान पर पहुंचा।

क्षेत्रीय तुलना इस अध्ययन का महत्वपूर्ण पहलू है। केरल का HDI 0.80 से ऊपर है, जो कई यूरोपीय देशों के बराबर है। यहां उच्च साक्षरता, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, लिंग समानता और सामाजिक न्याय की मजबूत परंपरा ने समावेशी विकास को संभव बनाया। वहीं बिहार का HDI लगभग 0.61 है, जहां गरीबी, शिक्षा और स्वास्थ्य के संकेतक कमजोर हैं। केरल में सामाजिक न्याय को विकास के साथ जोड़कर शिक्षा और स्वास्थ्य पर प्राथमिकता दी गई, जबकि बिहार में क्रियान्वयन की कमियों, भ्रष्टाचार और संसाधनों के कुशल उपयोग की कमी ने विकास को प्रभावित किया। यह तुलना दर्शाती है कि सामाजिक न्याय के बिना आर्थिक विकास अधूरा और असंतुलित रह जाता है।

फिर भी चुनौतियां गंभीर बनी हुई हैं। भ्रष्टाचार, लक्ष्य प्राप्ति में कमी, डेटा की अपर्याप्तता और प्रशासनिक दक्षता की कमी योजनाओं की प्रभावशीलता को कम करती है। MGNREGA में कई राज्यों में मजदूरों को पूरे 100 दिन का काम नहीं मिल पाता और भुगतान में देरी आम है। ऑक्सफैम रिपोर्ट्स के अनुसार, भारत में शीर्ष 1% आबादी के पास राष्ट्रीय संपत्ति का 40% से अधिक हिस्सा है, जबकि निचली 50% आबादी के पास मात्र 3% है। असमानता अभी भी उच्च स्तर पर है, जो HDI को 30.7% तक घटाती है।

लिंग, जाति और वर्ग आधारित असमानताएं विकास की राह में बड़ी बाधा हैं। महिलाओं की श्रम बल भागीदारी अभी भी कम है। दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक समुदायों में शिक्षा, स्वास्थ्य और आय के संकेतक राष्ट्रीय औसत से नीचे हैं। ग्रामीण-शहरी विभेद, जहां शहरी क्षेत्र तेजी से विकसित हो रहे हैं जबकि ग्रामीण क्षेत्र पिछड़ रहे हैं, समावेशिता को चुनौती देता है। जातिगत हिंसा और सामाजिक भेदभाव अभी भी बने हुए हैं, जो वंचित वर्गों को अवसरों से वंचित रखते हैं।

नई चुनौतियां भी उभर रही हैं। डिजिटल विभाजन उन लोगों को पीछे छोड़ रहा है जिनके पास इंटरनेट और स्मार्टफोन की पहुंच नहीं है। डिजिटल इंडिया के बावजूद ग्रामीण और महिला डिजिटल साक्षरता कम है। जलवायु न्याय एक और बड़ी चुनौती है। जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित गरीब और हाशिए के समुदाय होते हैं, जिनकी आजीविका कृषि और प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है। कोविड-19 महामारी ने इन असमानताओं को और उजागर किया, जब गरीबों को स्वास्थ्य और रोजगार संकट का सबसे अधिक सामना करना पड़ा।

समीक्षात्मक विश्लेषण में कहा जा सकता है कि भारत की कल्याणकारी योजनाएं मात्र राहत कार्यक्रम नहीं, बल्कि सशक्तिकरण के साधन बननी चाहिए। MGNREGA और PMAY ने आधारभूत संरचना तैयार की है, लेकिन गुणवत्ता और स्थिरता की कमी है। स्किल इंडिया ने प्रशिक्षण दिया, परंतु ट्रेनिंग टू जॉब अनुपात कम रह गया।

नीतिगत स्तर पर बेहतर समन्वय, पारदर्शी क्रियान्वयन, सामाजिक ऑडिट और डेटा आधारित निगरानी आवश्यक है। NITI Aayog और सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के साथ तालमेल बिठाकर दीर्घकालिक रणनीति बनानी होगी। समावेशी विकास के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देनी होगी। नई शिक्षा नीति 2020 समान अवसर प्रदान कर सकती है, यदि इसका प्रभावी क्रियान्वयन हो। स्वास्थ्य में आयुष्मान भारत को और विस्तार देकर सार्वभौमिक कवरेज सुनिश्चित करना चाहिए। रोजगार सृजन के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) को बढ़ावा, कौशल विकास और हरित रोजगारों पर ध्यान देना होगा। शासन सुधारों में ई-गवर्नेंस, भ्रष्टाचार नियंत्रण और स्थानीय स्वशासन की भूमिका बढ़ानी होगी।

अंततः, सामाजिक न्याय और समावेशी विकास को अलग-अलग नहीं देखा जा सकता। एक के बिना दूसरा अधूरा है। यदि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनना चाहता है, तो वंचित वर्गों को विकास का केंद्र बनाना होगा। सतत प्रयासों, नवाचारपूर्ण नीतियों और समाज की भागीदारी से ही 'सबका साथ, सबका विकास' का सपना साकार हो सकता है।

## निष्कर्ष

सामाजिक न्याय और समावेशी विकास एक-दूसरे के पूरक हैं। दोनों के बिना न तो विकास सतत हो सकता है और न ही न्याय सार्थक। भारत जैसे विविधतापूर्ण और विषमताओं वाले देश में सामाजिक न्याय को विकास प्रक्रिया के केंद्र में रखना अपरिहार्य है। 2047 तक विकसित भारत बनाने के सपने को साकार करने के लिए इन दोनों को नीति निर्माण का मूल आधार बनाना होगा। वर्तमान समय में जहां भारत विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो रहा है, वहीं गरीबी, असमानता, लिंग भेद, जातिगत विभेद और क्षेत्रीय खाई अभी भी चुनौती बनी हुई है। इसलिए समावेशी विकास केवल आर्थिक वृद्धि की दर नहीं, बल्कि मानव विकास, सामाजिक समानता और अंतिम व्यक्ति तक पहुंच का सूचक होना चाहिए।

शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सृजन और शासन सुधारों के माध्यम से वंचित वर्गों—दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, महिलाओं, अल्पसंख्यकों और ग्रामीण युवाओं—को मुख्यधारा में लाना होगा। शिक्षा का अधिकार और नई शिक्षा नीति 2020 को प्रभावी क्रियान्वयन के साथ जोड़कर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए, ताकि अगली पीढ़ी कौशल और अवसरों से युक्त हो सके। स्वास्थ्य क्षेत्र में आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं को और मजबूत कर सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की दिशा में तेजी लानी होगी। रोजगार सृजन के लिए कौशल विकास, सूक्ष्म उद्यमिता और औद्योगिक नीतियों को वंचित क्षेत्रों की ओर मोड़ना आवश्यक है। शासन सुधारों के अंतर्गत भ्रष्टाचार नियंत्रण, पारदर्शिता, डिजिटल शासन और जवाबदेही को बढ़ावा देना होगा।

समावेशिता केवल नैतिक दायित्व नहीं, बल्कि आर्थिक और सामाजिक आवश्यकता भी है। यदि विकास के लाभ सीमित वर्गों तक ही रह गए तो सामाजिक अस्थिरता बढ़ेगी, जो राष्ट्र की प्रगति में बाधक बनेगी। अतः नीति निर्माताओं को डेटा आधारित, लक्षित और भागीदारीपूर्ण दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। सिविल सोसाइटी, पंचायती राज संस्थाओं और निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देकर एक समन्वित प्रयास किया जाना चाहिए। साथ ही, जलवायु न्याय, डिजिटल समावेशन और लिंग संवेदनशील विकास को भी प्राथमिकता देनी होगी।

निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि सामाजिक न्याय और समावेशी विकास के बिना भारत का विकसित राष्ट्र बनना अधूरा रहेगा। डॉ. आंबेडकर के सामाजिक न्याय के सपने और संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को एक साथ लेकर चलना होगा। यदि हम शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और समान अवसरों के माध्यम से हर नागरिक को

सशक्त बना पाए, तभी सच्ची प्रगति और समृद्ध भारत का निर्माण संभव होगा। यह न केवल सरकार का दायित्व है, बल्कि समस्त समाज की साझा जिम्मेदारी भी है।

### संदर्भ

1. Sen, Amartya. (1999). *Development as Freedom*. New York: Alfred A. Knopf.
2. Drèze, Jean & Sen, Amartya. (2013). *An Uncertain Glory: India and its Contradictions*. Princeton University Press.
3. Agarwal, Bina. (1994). *A Field of One's Own: Gender and Land Rights in South Asia*. Cambridge University Press.
4. Piketty, Thomas. (2014). *Capital in the Twenty-First Century*. Harvard University Press.
5. Mankar, Vijay. (2018). *सामाजिक न्याय और समावेशी विकास*. New Delhi: Samyak Prakashan.
6. NITI Aayog. (2023). *National Multidimensional Poverty Index: A Progress Review 2023*. Government of India.